

केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर ए-5, पॉकेट-11, नरेला, दिल्ली-40

दूरभाष – 011-27787278 /79

बालवाटिका में प्रवेश हेतु पंजीकरण (2022-23)

केन्द्रीय विद्यालय नरेला में बालवाटिका I, II, III (Pre-Primary) के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से शुरू की जा रही है। अभिभावक नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार प्रवेश के लिए पंजीकरण कर सकते हैं :

| कक्षा         | आयु (31/03/2022) तक                             |
|---------------|---|
| बालवाटिका I   | कम से कम 3 वर्ष लेकिन 4 वर्ष पूरे नहीं किए हों। |
| बालवाटिका II  | कम से कम 4 वर्ष लेकिन 5 वर्ष पूरे नहीं किए हों। |
| बालवाटिका III | कम से कम 5 वर्ष लेकिन 6 वर्ष पूरे नहीं किए हों। |

दिनांक 29/09/2022 से 10/10/2022 तक

समय – सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

अधिक जानकारी के लिए विद्यालय के पंजीकरण काउंटर/विद्यालय की वैबसाइट (<https://narela.kvs.ac.in>) पर संपर्क करें।

**Note:**

- 1) आर.टी.ई. अधिनियम-2009 के प्रावधानों के तहत आरक्षण केवल प्रवेश स्तर पर लागू होगा, अर्थात बालवाटिका-I /
- 2) बालवाटिका कक्षाओं में एकल बालिका श्रेणी में प्रवेश का प्रावधान लागू नहीं होगा।

प्राचार्य

**Kendriya Vidyalaya, Sector A-5, Pocket 11, Narela, Delhi-40**

**Telephone No. – 011-27787278 /79**

**Registration for admission for Balvatika (2022-23)**

Kendriya Vidyalaya Narela is going to start Balvatika I,II, III (Nursery Classes/Pre-Primary Classes) in the session 2022-23. The registrations are invited as per the following details:

| <b>Class</b>  | <b>Age (as on 31 March 2022)</b>           |
|---------------|--|
| Balvatika I   | Attained 3 years but not completed 4 years |
| Balvatika II  | Attained 4 years but not completed 5 years |
| Balvatika III | Attained 5 years but not completed 6 years |

- Registrations can be done only through offline mode between 29.09.2022 and 10.10.2022 (from 09:00 am-12:00 pm)
- For more details, contact registration counter (Primary Wing)/visit vidyalaya website (<https://narela.kvs.ac.in>).

Note:

- 1) Reservation under the Provisions of RTE Act-2009 shall be applicable at the entry level only, viz., Balvatika I.
- 2) Provision for admission for Single Girl Child category shall not be applicable to these classes.

Principal